FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई　　　　　　　　　　　　मुकाम अराई (अजमेर)

- अमरी पत्नि स्व. रामचन्द्र जाति जाट आयु बालिग निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　–प्रार्थी

बनाम

- घीसा पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम नोनन्दपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 41 /2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 50

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा　　　　　　　　　　वकील अप्रार्थीगण...............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13/06/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
21/6/24	पत्रावली पेश हो। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी संख्या 01 से 18 के तामीलशुदा सम्मन प्राप्त होकर शामिल मिसल। अप्रार्थी 01 व 14 की ओर से वकील श्री विपिन पोसवाल ने वकालतनामा पेश किया जो शा.मि. किया। से 8, 10 व 13 की V.T. ली। वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 12/7/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	प्रतिवादीय 1. से 8. व 10. से 13. की V.T. ली Vijay Pustak Ach[illegible]
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली वास्ते आदेशानुसार........ दिनांक 23/8/24 का पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

नंबर व अहकाम ... जारी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वास्ते जवाब प्रतिवादीगण 30/5/25 उपखण्ड अधिकारी आई	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............. दिनांक 18/7/25 को पेश हो।	
18/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............. दिनांक 19/9/25 को पेश हो।	
19/9/25-	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण अनु०। प्रतिवादीगण से जवाब पेश किया नहीं। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं प्रतिवादी 1 से 8, 10, 11, 12, 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। - पत्रावली वास्ते अंतिम कार्यवाही दिनांक 3/10/25 को पेश हो।	
3/10/25	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण अनु०। वकील वादी उप०। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 10/10/25 को पेश हो।	
10/10/25-	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी हो रिकार्ड में जमा हो।	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2024

1. ...मरी पत्नि स्व. रामचन्द्र जाति जाट
2. कमला देवी पत्नि स्व. गणेश जाति जाट
3. कान्ता पुत्री श्योजी जाति जाट
4. धैनाराम गीला पुत्र गणेश जाति जाट
5. छगन पुत्र श्योजी जाति जाट
6. छोटू पुत्र रामलाल जाति जाट
7. जीतराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट,
8. नारायण पुत्र रामलाल जाति जाट
9. प्रियंका पुत्री गणेश जाति जाट
10. ममता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट
11. लक्ष्मण पुत्र श्योजी जाति जाट
12. सुगनी पत्नि स्व. श्योजी जाति जाट
13. सुरज्ञान पुत्री श्योजी जाति जाट
14. हरिराम पुत्र श्योजी जाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम सिंरोज तहसील अराँई जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण.

बनाम

1. घीसा पुत्र रामनारायण जाति जाट
2. जीतराम जाट पुत्र माधू जाति जाट
3. नन्दा पुत्र रामनाथ जाति जाट
4. नाराज पत्नि स्व0 माधू जाति जाट
5. निरमा देवी पुत्री माधू जाति जाट
6. महेंद्र चौधरी पुत्र माधू जाति जाट
7. रतनी पत्नि रामनारायण जाति जाट
8. रामधनीदेवी पत्नि नाथू जाति जाट
9. विश्राम पुत्र छोगा जाति जाट
10. श्योनारायण पुत्र रामनाथ जाति जाट
11. संपत पुत्री मापू जाति जाट
12. सुरजकरण पुत्र रामनाथ जाति जाट
13. सरोज पुत्री माधू जाति जाट
14. हरिराम पुत्र रामकिशन जाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम नोनन्दपुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान.
15. छोटू पुत्र रामकरण जाति जाट
16. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट
17. रामाकिशन पुत्र रामकरण जाति जाट (फौत)

(1) जतनी पत्नि स्व. रामाकिशन जाति जाट
(2) हनुमान पुत्र रामाकिशन जाति जाट
(3) परमेश्वर पुत्र रामाकिशन जाति जाट
(4) चन्ता पुत्री रामाकिशन जाति जाट

सर्वनिवासीगण ग्राम सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान.

18. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय अरांई जिला अजमेर राजस्थान. 1

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 10/10/2024

वकील वादी श्री अशोक शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी राजस्व ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 424 पुराना 400 के खसरा संख्या 1296/123 रकबा 0.8090 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1296/123 के पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण (तीनो दिशाओं) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है।प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार साहब, अरांई को दिया गया था जिस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 30.06.2021 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण एवं पडौसी खातेदार सन्तुष्ट नहीं हुये है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1296/123 की भूमि की पत्थर गढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण एवं अड़ौस पड़ौस के खातेदारों अप्राथर्थीगण में विवाद बढ़ सकता है वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशानियों से बचने के लिए तथा पडौसी खातेदारों से विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढ़ी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि का राजस्य रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थर गढ़ी किया गया आवश्यक है।प्रार्थीगण निर्वाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थीगण जब भी हमेशा की तरह बाह जोत करते है एवं फसल बुवाई एवं कटाई करते है तब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होते रहते है एव प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 30.06.2021 को बनायी गयी है उसके बाद भी विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके अतः पत्थरगढी का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 13.6.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 19.9.2025 को 1 से 8,10,11,12,13 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा 9 व 14 का जवाब बन्द किया गया । दिनांक 14.11.2025 को बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सिरोंज तहसील अराई के खाता संख्या 424 पुराना 400 के खसरा संख्या 1296/123 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म बंजर 1 का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner